(126)

निग0-5206/2018/रीवा/भू.रा0

(233)

...लय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट, रीवा

निगरानी प्रकरण कमांक.............

20रु. COURT FEE भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 5रु. COURT FEE FIVE RUPEES Rs.5 विलोपित / विलोपित INDIA FIVE RUPEES

मातादीन साकेत तनय स्व0 रामगरीब साकेत (जाति चर्मकार) निवासी ग्राम सुरसा–खुर्द, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा (म0प्र0)–आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

हृदयलाल तनय रामाधार चर्मकार, निवासी ग्राम सुरसा–खुर्द, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा (म0प्र0)———————— अनावेदक / गैरनिगराकार

अधि0 श्री श्यामबिहारी त्रिपाठी द्वारा पेश। 25.8.18

रीडर आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध कार्यवाही सीमांकन पुष्टिकरण आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त मनिकवार, पटवारी हल्का सुरसा नं. 16, तहसील रायपुर कर्चु0, जिला रीवा, प्रकरण कमांक 69 / ए–12 / 2017–18 पुष्टिकरण आदेश दिनॉक 21.05.2018 ।

निगरानी (पुनरीक्षण आवेदन) अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता, 1959 ई.।

मान्यवर,

मामला संक्षिप्त में–

आराजी स्थित ग्राम सुरसा–खुर्द खसरा नम्बर– 391 / 4 के वटा / ख0क0 391 / 4 / 1, रकवा $0.37^{1/2}$ डि0,ख0क0391 / 4 / 2 रकवा 0.15 डि0 एवं 391 / 4 / 3 रकवा $0.7^{1/2}$ डि0 के सीमांकन बावत पृथक–पृथक आवेदन समयलाल, हृदयलाल, मोतीलाल पिता रामाधार साकेत(तीनों सगे भाईयों) द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल मनिकवार, तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा के समक्ष एक ही दिन दि0 11.12. 2017 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी / आपत्तिकर्ता (माननीय न्यायालय में आवेदक / निगरानीकर्ता) को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी हुई जो कि भूमि ख0क0 391 / 3 का सीमावर्ती कृषक भूमिस्वामी है जो दक्षिण दिशा में स्थित है।

राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा प्राप्त हुए आवेदनों पर पृथक–पृथक प्रकरण कमांक 71 / अ–12, 70 / अ–12, 69 / अ–12 / 17–18 कायम किया जाकर कार्यवाही में लिया गया। सूचना–पत्र के तामिली में प्रार्थी / आवेदन ने हस्ताक्षर किया किन्तु मौके से सीमांकन सरहदी कृषकों के समक्ष तथा सभी के जानकारी में

(126)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग.5206/रीवा/भू–रा0/2018 जिला–रीवा

मातादीन साकेत/समयलाल चर्मकार

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील रायपुर कर्चु0 के प्रकरण क्रमांक 69/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 04.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	